पर्यावरण बनाम विकास परिचर्चा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India- NHAI) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में दावा किया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 को संसद द्वारा न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि 'विदेशी शक्तियों के लिये उदाहरण' हेतु पारित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2013 के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन, जिसमें 100 किमी. से अधिक लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों को 40 मीटर से अधिक चौड़ा करने के लिये पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में छूट मांगी गई थी, के खिलाफ एक एनजीओ 'यूनाइटेड कंज़र्वेशन मूवमेंट' (United Conservation Movement) द्वारा याचिका दायर की गई।
- 'यूनाइटेड कंज़र्वेशन मूवमेंट' पर्यावरणीय संस्थाओं का एक समूह है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी घाट, एक टाइगर रिज़र्व और साथ ही एक वन्यजीव क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों के संदर्भ में NHAI परियोजनाओं को चुनौती दी है।

NHAI का दावा:

- NHAI ने यह आरोप लगाया है कि कई गैर-सरकारी संगठन विदेशी शक्तियों के इशारे पर अधिनियम के मानदंडों को बनाए रखने के लिये याचिका दायर करते हैं।
  - अपने भारतीय प्रतिरूपों के माध्यम से 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' (Amnesty International) और 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़' (Peoples Union for Civil liberties) जैसी विदेशी संस्थाओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत रिट याचिका दायर की है।
    - **संविधान का अनुच्छेद- 32 (संवैधानिक उपचार का अधिकार):** यह एक मौलिक अधिकार है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्तियों को संविधान द्वारा प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।
- NHAI ने आरोप लगाया है कि भारत में कई संगठन, जो पर्यावरणीय कार्रवाई और मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करते हैं, सक्रिय रूप से विकास परियोजनाओं का विरोध करने, सरकारी नीतियों को चुनौती देने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एक ऐसा अधिनियम है जो जून 1972 (स्टॉकहोम सम्मेलन) में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से प्रभावित था।

न्यायालय का निर्णय:

- उच्च न्यायालय ने NHAI के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि आपत्ति दर्ज करने के तरीके का विश्लेषण करने और पूछताछ के लिये एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया जाए।
- उच्च न्यायालय ने 'यूनाइटेड कंज़र्वेशन मूवमेंट' से अपने संविधान तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में की गई गतिविधियों से संबंधित विवरण प्रदान करने को भी कहा है।

विकास बनाम पर्यावरण:

पर्यावरण का महत्त्व:

- पर्यावरण का आर्थिक महत्त्व कुछ पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से स्पष्ट होता है। इसमें शामिल हैं:
  - प्रावधान सेवाएँ (खाद्य, सिंचाई, पेयजल)।
  - विनियमन सेवाएँ (जलवायु विनियमन, जल गुणवत्ता विनियमन)।
  - सांस्कृतिक सेवाएँ (मनोरंजन और धार्मिक सेवाएँ)।
  - सहायक सेवाएँ (पोषक तत्त्व, रिसाइक्लिंग, मृदा निर्माण)।

- लाखों परविार वकिासात्मक गतविधियों, उत्पादन और उपभोग के लयि इन पारसि्थतिकी तंत्र सेवाओं का उपयोग करते हैं।

वकिास के साथ पर्यावरण का संबंध:

- आर्थकि वकिास के वांछति स्तर को प्राप्त करने के लयि तीव्र औद्योगीकरण और शहरीकरण अपरहिार्य है।
- माना जाता है कि प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि के लयि यह आवश्यक है।
- हालाँकि इन आय अर्जन करने वाली गतविधियों की वजह से प्रदूषण जैसे नकारात्मक पर्यावरणीय परणािम उत्पन्न होते हैं।
- व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन और गरीबी में कमी जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लयि पर्यावरण की गुणवत्ता से समझौता कयिा जा रहा है।
- यह माना जाता है कि वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि के साथ-साथ आय के स्तर में क्रमकि वृद्धि द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता को बहाल कयिा जा सकता है।
- वास्तवकिता यह है कि विकिासात्मक गतविधियाँ पर्यावरण की गुणवत्ता को खराब करती हैं।

पर्यावरणीय स्थरिता को प्रभावति करने वाले वकिासीय कारक:

पर्यावरणीय अनुपालन का अभाव:

- पर्यावरणीय सद्धिांतों की उपेक्षा इस बात का गंभीर संकेत है कि प्राकृतकि आपदाओं के माध्यम से कई बार जन-धन की हानि होती है।
- कसिी भी क्षेत्र में प्राकृतकि खतरों से होने वाले जोखमि का वैज्ञानकि रूप से पता लगाने के लयि कयि जाने वाले कार्य कभी-कभी ही सही भावना से कयि जाते हैं।
- अनयिमति खदान और पहाड़यिों में ढलान की मट्टिी के अवैज्ञानकि कटाव का खतरा बढ़ने से भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।

सब्सडिी का बुरा प्रभाव:

- समाज के कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लयि सरकार बड़ी मात्रा में सब्सडिी प्रदान करती है।
- ऊर्जा और बजिली जैसी सेवाओं में सब्सडिी प्रदान करने से इनके अति प्रयोग से पर्यावरणीय स्थरिता प्रभावति होती है।
- इसके अलावा सब्सडिी राजस्व आधार को कम करती है और सरकार की नई स्वच्छ प्रौद्योगकियिों में नविेश करने की क्षमता को सीमति करती है।

पर्यावरणीय संसाधनों तक पहुँच:

- सभी को प्राकृतकि संसाधनों तक पहुँच प्राप्त है और कोई भी उपयोगकर्त्ता पर्यावरणीय गरिावट की पूरी लागत वहन नहीं करता है, इसके परणािमस्वरूप संसाधनों का अत्यधकि उपयोग होता है।

जनसांख्यकिी गतशीलता की जटलिता:

- बढ़ती जनसंख्या अवकिसतिता और पर्यावरणीय गरिावट के बीच संबंधों को बढ़ाती है।
- इसके अलावा गरीबी के कारण बड़े परविार तथा पलायन की समस्या उत्पन्न होती है, जो शहरी क्षेत्रों को पर्यावरणीय रूप से अस्थरि बनाता है।
- दोनों परणािमों की वजह से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और इसके परणािमस्वरूप पर्यावरण की गुणवत्ता में गरिावट आती है, उत्पादकता कम हो जाती है और गरीबी बढ़ जाती है।

आगे की राह:

- वकिास मानवता के सामने सबसे बड़ी ज़रूरत के साथ-साथ एक चुनौती बना हुआ है। हालाँकि पिछिली सदी में अभूतपूर्व आर्थकि और सामाजकि प्रगति के बावजूद गरीबी, अकाल और पर्यावरणीय गरिावट जैसी समस्याएँ अभी भी वैश्वकि स्तर पर बनी हुई हैं।
- इसके अलावा अब तक की वकिासात्मक प्रगति ने पर्यावरणीय गरिावट और जलवायु परविर्तन से संबंधति अपूरणीय क्षति को दर्शाना शुरू कर दयिा है।
- इस प्रकार पर्यावरणीय नयिमों का उल्लंघन कयि बनिा वकिास लक्ष्यों का पालन कयिा जाना चाहयि।

स्रोत- इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/environment-vs-development-debate